उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय, प्रयागराज।

सं. 797–ई/उमरे/स्था./कर्म. हित निरी./चयन/21 दिनांक 23.09.2021

सभी विभागाध्यक्ष/उमरे/प्रयागराज ।
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/उमरे/प्रयागराज, महाप्रबंधक/कोर/प्रयागराज।
उप महाप्रबंधक/सामान्य, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि./उमरे/प्रयागराज।
उप मुख्य इंजीनियर/सीपीओएच/प्रयागराज।
उप मुख्य अभियन्ता/सीएसपी/उमरे, प्रयागराज।
सीपीएम/एनसीआरपीयू/प्रयागराज।
उप मुख्य अभियन्ता/ब्रिज लाइन/प्रयागराज। उप मुख्य अभियन्ता/ब्रिज लाइन/आगरा ।
उप मुख्य अभियन्ता/टीएमसी/प्रयागराज। एक्सईएन/ब्रिज लाइन/प्रयागराज एवं झांसी ।
राजभाषा अधिकारी/उमरे/प्रयागराज ।

अधिसूचना

विषय: उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय, प्रयागराज में कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6, 35% अन्य विभागीय कोटा के अंतर्गत खुला चयन के संबंध में ।

उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय, प्रयागराज में कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6, 35% सभी विभागीय (लेखा एवं आरपीएफ को छोडकर) कोटा के अंतर्गत खुला चयन आयोजित किया जा रहा है। आरक्षणानुसार रिक्तियों का आकलन निम्नानुसार हैं:–

सामान्य–07 अनुसूचित जाति–02 अनु.जनजाति–01 कुल–10

कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6 पद के लिए उत्तर मध्य के सभी विभागों के वे सभी इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी (लेखा विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को छोडकर) जिनका लियन उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में है। रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई(एनजी)I–2002/पीएमयू/1 दिनांक 12.07.2002 में दी गयी शर्ते निम्नलिखित हैं:–

1. पात्रता हेतु मानदंड

i निम्नलिखित योग्यता रखने वाले ग्रुप सी के कर्मचारी, भले ही उनका ग्रेड अथवा सेवाकाल या अन्य योग्यताएं कुछ भी हों:–

(क) श्रम कल्याण/सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा।
(ख) श्रम कानून में डिप्लोमा।
(ग) श्रम कानून के पेपर (पेपरों) सहित विधि स्नातक।
(घ) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबंधन में दिया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और
(ड) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा कार्मिक प्रबंधन के पेपर (पेपरों) सहित एमबीए।

बशर्ते कि लेवल–6 और इससे उपर के ग्रेड में नियमित रुप से कार्यरत कर्मचारी उपर्युक्त चयन में भाग लेने के पात्र नहीं होगें ।

इसके अलावा शर्त यह है कि उपर्युक्त योग्यताएं रखने वाले कर्मचारियों की पात्रता भी इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उन्होंने संबंधित ग्रेड में परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

ii ग्रुप डी के वे कर्मचारी जिन्होंने ग्रुप डी में कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और वे उपर्युक्त (i) में उल्लिखित कोई एक योग्यता रखते हों ।

iii कल्याण निरीक्षक ग्रेड से निचले ग्रेड में लेवल–5 एवं लेवल–4 के ग्रेडों में 05 वर्ष की सेवा वाले वे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा में उच्चतर ग्रेड नहीं आता है, अन्यथा इन दोनों ग्रेडों को मिलाकर 5 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी ।

iv लेवल–5 एवं लेवल–4 के ग्रेड वाले वे कर्मचारी जो स्नातक हैं भले ही इन ग्रेडों में उनका सेवाकाल कितना भी हो बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी ने अपने संबंधित ग्रेड में परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

v वे कर्मचारी जो कल्याण निरीक्षक ग्रेड से निचले ग्रेड में लेवल–3 एवं लेवल–2 के ग्रेड में कार्यरत वे कर्मचारी जो स्नातक हैं और जिन्होंने अपने संबंधित ग्रेड में 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो यदि उच्चतर ग्रेड, उनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा में नहीं आता है अन्यथा इन दोनों ग्रेडों को मिलाकर 7 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी ।

vi इस चयन में पूरक परीक्षा का प्रावधान नही है।

vii आरबीई सं. 196/2018 दिनांक 14.12.2018, आरबीई सं. 97/2019 दिनांक 14.06.2019 एवं आरबीई सं 194/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा (100%-Objective Type) आयोजित की जायेगी। रेलवे बोर्ड के पत्र ई(एनजी)2000/पी.एस.I/41 दिनांक 07.08.03 के अनुसार उपरोक्त हेतु साक्षात्कार परीक्षा नहीं होगी।

सीएसपी, सीपीओएच, टीएमसी लाईन एवं ब्रिज लाईन के वे कर्मचारी जिनका धारणाधिकार (लियन) एवं वरीयता किसी अन्य रेलवे अथवा मण्डल में नही है, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते है। कर्मचारी हित निरीक्षक चयन हेतु पाठ्यक्रम अनुबंध –स के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

2. प्रार्थना पत्र भेजने की विधि–

सूचना के साथ संलग्न अनुबंध अ के अनुसार प्रार्थना पत्र इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में भरे जाने के उपरांत अपने नियंत्रक अधिकारी के पास जमा किया जायेगा एवं नियंत्रक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भरे गये विवरण की पूर्णतः जांच करेंगे तथा उपयुक्त पाये गये कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों को ही सूचना के साथ संलग्न अनुबंध ब के साथ प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर कार्मिक विभाग/प्रधान कार्यालय के मन्दाकिनी परिसर, सूबेदारगंज, प्रयागराज को अग्रसारित करेंगे तथा अपात्र कर्मचारियों को नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सूचित करने की व्यवस्था करें ।

i योग्यता निर्धारण हेतु उपयुक्तता निर्धारण की अंतिम तिथि 23.09.2021 मानी जाएगी।

ii कर्मचारियों द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी के यहॉ प्रार्थना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22.10.2021 है।

iii सभी आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारियों द्वारा सूचना के साथ संलग्न अनुबंध अ/ब के साथ कार्मिक विभाग प्रधान कार्यालय, प्रयागराज को अग्रसारित किए जाये तथा मुख्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि 29.10.2021 के बाद प्राप्त ओवदन एवं अपूर्ण तथा अयोग्य आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

iv योग्य पाए गए कर्मचारियों को चयन हेतु संपन्न होने वाली लिखित परीक्षा की तिथि से अलग से अवगत करा दिया जायेगा।

v आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व नियंत्रक अधिकारियों/कार्मिक अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अधिसूचना क अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता है कि नही। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र अभ्यर्थियों की सूची संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्न–ब) पर हार्ड कॉपी में नियन्त्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजना आवश्यक है।

vi कोई भी आवेदन पत्र सीधे एवं व्यक्तिगत रुप से प्राप्त नहीं किए जाएंगे ।

इस अधिसूचना को उमरे की वेबसाईट ***www.ncr.indianrailways.gov.in*** पर देखा जा सकता है एवं सभी आवेदित कर्मचारी उक्त वेबसाइट का लगातार अवलोकन करते रहे ताकि उपरोक्त चयन के संबंध में पात्रता सूची लिखित परीक्षा की तिथि तथा परिणाम एवं अन्य की जानकारी समय से मिल सके।

सर्वसंबंधितों से अनुरोध है कि कृपया इस अधिसूचना का प्रचार अपने सभी अधिनस्थ के मध्य सुनिश्चित करें तथा अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने की व्यवस्था करें।

23/09/21

(आदेश कुमार मिश्र)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, प्रयागराज, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/प्रयागराज एवं सीपीएम/एनसीआरपीयू/प्रयागराज को सूचनार्थ एवं योग्य कर्मचारी जिनका लियन उत्तर मध्य रेलवे में है, का आवेदन अनुबध अ एवं अनुबंध ब के अनुसार अग्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
2. निजी सचिव/मुख्य कार्मिक अधिकारी/उमरे, प्रयागराज ।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी/आईआर/उमरे, प्रयागराज ।
4. उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज, आईआर, मुख्यालय, निर्माण, उमरे, प्रयागराज ।
5. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उमरे, प्रयागराज ।
6. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राज/आईआर, उमरे, प्रयागराज ।
7. सचिव, एनसीआरएमयू/एनसीआरईएस, उमरे, प्रयागराज ।
8. जोनल अध्यक्ष, एससी एवं एसटी एसोसिएशन, उमरे, प्रयागराज ।
9. जोनल अध्यक्ष, ओबीसी एसोसिएशन, उमरे, प्रयागराज ।
10. कार्मिक शाखा, प्रधान कार्यालय के सभी अधीक्षक ।
11. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/सामान्य को कार्मिक शाखा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

महाप्रबंधक / कार्मिक के पत्रांक 797–ई / उमरे / स्था. / कर्म. हित निरी. / चयन / 21 दिनांक .10.2021 के संदर्भ में उत्तर मध्य रेलवे में कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6, 35% अन्य विभागीय कोटा के अंतर्गत खुला चयन हेतु आवेदन प्रोफार्मा ।

1	नाम Name (अंग्रेजी के BLOCK LETTERS में)	
2	क्या अनु.जा. / अनु.जन.जा के सदस्य हैं Whether belongs to SC/ST	
3	वर्तमान पद / विभाग Present Design / Dept	
4	वर्तमान लेवल Present Level	
5	जन्म तिथि / Date of Birth	
6	प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम / लेवल Date of initial appointment and Design / Level	
7	वर्तमान पद / लेवल Present Designation/Level	
8	कार्यस्थल एवं धारणाधिकार Working place & lien	
9	स्थाई हैं अथवा नहीं Whether confirmed or not	
10	अधिसूचना जारी होने की तिथि .09.2021 तक लेवल–1 से ऊपर लेवल–5 तक कुल सेवा अवधि Total Length of regular service in Level -1 to Level -5, as on notification date . 09 .2021	
11	शैक्षणिक योग्यता Eductiaonal qualification	
12	डीएंडएआर / सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। D&AR/Vig. case if any pending	
11	पीएफ सं / एनपीस सं. PF No/NPS No	
12	एचआरएमएस आई डी / HRMS ID	
13	मोबाइल नं. Mobile No.	
14	ई–मेल आईडी / E-Mail ID	

15. पूरा सेवा विवरण:–

लेवल–1 में नियुक्ति तिथि	लेवल–2 में नियुक्ति / पदोन्नति तिथि	लेवल–3 में नियुक्ति / पदोन्नति तिथि	लेवल–4 में नियुक्ति / पदोन्नति तिथि	लेवल–5 में नियुक्ति / पदोन्नति तिथि

मैं अभिप्रमाणित करता / करती हुँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सभी सूचनाएं सत्य है और मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नही गया है। यदि चयन के किसी स्तर पर मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना असत्या पायी जाती है तो चयन हेतु मेरी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर / Sign. of the Applicant

कार्मिक विभाग मुख्यालय प्रयागराज को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं कर्मचारी के आवेदन में दिये गये विवरण कमांक 1 से 15 तक जांचोपरांत सही पाये गये हैं।

Paste here recent passport size photo & attest

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर / Sign of controlling officer

पदनाम / Designation:.......................................

ऑफिस की सील / Seal of office ....

Annexure-B / अनुबंध–ब

कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6, 35% अन्य विभागीय कोटा

(संदर्भ:– 797–ई / उमरे / स्था. / कर्म. हित निरी. / चयन / 21 दिनांक .09.2021 **)**

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के प्रति उत्तर में कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6, 35% अन्य विभागीय कोटा पद हेतु निम्न लिखित कर्मचारियों के निर्धारित प्रारुप पर आवेदन जांचोपरांत अग्रसारित किये जाते हैं।

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यस्थल	लियन / यूनिट
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारीगण अधिसूचना की शर्तें पूर्ण करते हैं तथा कर्मचारी हित निरीक्षक, लेवल–6 पद के चयन हेतु पात्र है। उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक .... तक प्राप्त कुल ....आवेदन अग्रेषित है। अन्य कोई भी आवेदन इस कार्यालय में कार्मिक विभाग, मुख्यालय को अग्रेषित करने हेतु लम्बित नहीं है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर / Sign of controlling officer

पदनाम व सील / Post & Seal ....

कर्मचारी हित निरीक्षक, ग्रेड वेतन 4200/- के पद पर चयन हेतु पाठ्यक्रम

1 सेवा की सामान्य शर्तें ।

2. कल्याणकारी गतिविधियां और शिकायत एवं सुधार तंत्र ।

3 कर्मचारियों एवं कर्मचारी हित निरीक्षकों की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य ।

4. ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों की ट्रेनिंग एवं भर्ती ।

5. दयाधार पर नियुक्ति – नियम, प्राथमिकता एवं उपयुक्तता ।

6. अनुशासन एवं अपील नियम तथा कंडक्ट नियम ।

7. सेवा नियम– छुट्टी नियम, पास नियम, सेवानिवृत्त लाभ, न्यू पेंशन स्कीम ।

8 मेन पावर प्लानिंग, बेंच मार्किंग, पदों का सृजन एवं सरेण्डर, अधिसंख्यक पदों, वैकेन्सी बैंक, सरप्लस एवं चिकित्सा विकोटिकृत स्टाफ का पुनर्नियोजन ।

9. गैर–चयन पदों एवं चयन पदों को भरने की विधि ।

10. श्रमिक नियम – वेतन अधिनियम के तहत भुगतान, न्यूनतम वेतन अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति भत्ता अधिनियम, कार्य घंटे, औद्योगिक अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम ।

11. रेलों पर औद्योगिक संबंधी तंत्र ।

12. स्थापना संबंधी मामले पर कार्य शक्ति योजना ।

13. वरीयता एवं वेतन निर्धारण संबंधी नियम ।

14. आरक्षण नीति ।

15. राजभाषा – राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976, विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार इत्यादि ।

16. रेलवे मकान (रेलवे क्वार्टर आवंटन) नीति ।

17. अग्रिम एवं भत्ते–उपयुक्तता इत्यादि ।

18. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ।

19. वैध कानूनी तंत्र – कोर्ट संबंधी मामले ।